पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 की सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 817

==========

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, विद्यापीठ मार्ग, पटना, बिहार-800001 अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री रवि जालान, पिता-स्वर्गीय लोक नाथ जालान, निवासी-प्रकाश कॉटन मिल परिसर, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 13।

2. श्री राजेंद्र जालान, पिता-स्वर्गीय लोक नाथ जालान, निवासी-प्रकाश कॉटन मिल परिसर, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 13।

3. श्री अनिल जालान, पिता-स्वर्गीय तोलाराम जालान, निवासी-प्रकाश कॉटन मिल परिसर, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-13।

4. श्री अशोक जालान, पिता-स्वर्गीय तोलाराम जालान, निवासी-प्रकाश कॉटन मिल परिसर, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 13।

5. श्री दिलीप जालान, पिता-स्वर्गीय चंपा लाल जालान, निवासी-प्रकाश कॉटन मिल परिसर, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 13।

6. अमिताभ जालान, पिता-स्वर्गीय धरम चंद्र जालान, निवासी-प्रकाश कॉटन मिल परिसर, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 13।

7. श्री विष्णु जालान, पिता-स्वर्गीय गजानंद जालान, निवासी-प्रकाश कॉटन मिल परिसर, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 13।

8. रवि पोद्दार, पिता-श्री शिव भगवान पोद्दार, निवासी-मोहल्ला-जवाहरलाल रोड, पी. एस. टाउन पी. ओ., पी. ओ. टाउन, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार- 842001।

9. दिलीप जालान, पिता-स्वर्गीय पशुपति जालान, निवासी- तिलक मैदान के निकट, पी. ओ. और पी. एस. टाउन (मुजफ्फरपुर), जिला-मुजफ्फरपुर, सचिव, सेवा संघ न्यास समिति।

.... प्रत्यर्थीगण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री शेखर सिंह, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 के लिए	:	श्री संजीव रंजन, अधिवक्ता
	:	सुश्री आस्था अनन्या, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 9 के लिए:	:	श्रीमती एम. चटर्जी, अधिवक्ता

==========

सिविल प्रक्रिया संहिता---आदेश VI नियम-17, धारा 151---भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872---धारा 58----अभिवचनों में संशोधन---याचिकाकर्ता/विपरीत पक्षकार संख्या 1 की ओर से लिखित आपत्ति में मांगे गए संशोधनों में से एक को अस्वीकार करने के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका, जिसमें मृतक ट्रस्टी के उत्तराधिकारियों के कब्जे को

याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था---निष्कर्ष:-सभी संशोधनों को अनुमति दी जा सकती है जब तक कि संशोधन द्वारा, संशोधन चाहने वाले पक्ष पक्ष द्वारा किए गए किसी भी स्पष्ट प्रवेश को वापस लेने की मांग नहीं करते हैं जो दूसरे पक्ष को अधिकार प्रदान करता है ---याचिकाकर्ता यहां अपने लिखित बयान में किए गए प्रवेश से मुकरने का प्रयास कर रहा है और स्थापित कानून के मद्देनजर, इस तरह के संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है--- परीक्षण शुरू होने से पहले संशोधन नहीं लाने के लिए कोई उचित परिश्रम नहीं दिखाया गया है---आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है---याचिका खारिज। (पैरा-13-15)

एआईआर 1974 एससी 471, एआईआर 1977 एससी 680, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1128 ……पर भरोसा किया गया।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सी.ए.वी निर्णय

तारीख : 05-02-2025

तत्काल याचिका वर्ष 2017 का विविध मामला संख्या 43 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश- XII, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता/विरोधी पक्ष की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") के आदेश 1 नियम 17 साथ धारा 151 के तहत मांगे गए संशोधनों में से एक संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया है।

2. संक्षेप में, बताए गए तथ्य जो अभिलेख से प्रकट होते हैं, ये हैं कि याचिकाकर्ता, यानी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद (इसके बाद "पर्षद") ने बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (इसके बाद "अधिनियम") की धारा 32 के तहत ज्ञापांक संख्या 2010 में निहित एक अधिसूचना जारी की, जिस में सेवा संघ न्यास पर्षद, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, जो पंजीकरण संख्या 3992 के माध्यम से बोर्ड के साथ पंजीकृत एक सार्वजनिक न्यास है, के मामलों के प्रबंधन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया गया। प्रत्यर्थियों ने अधिनियम, 1950 की धारा 32(3) के तहत विद्वान जिला न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर के समक्ष एक विविध मामला दायर किया जिस की संख्या 43 वर्ष 2017 है, जिस में निम्नलिखित राहत की मांग की गई :

> *"क. कि ऊपर बताए गए तथ्यों पर विचार कर आवेदन की अनुसूची-। के संबंध में विपक्ष द्वारा 07.10.2016 के आदेश के अनुसार 26.04.2017 को बिहार राजपत्र में प्रकाशित इस तरह से तय की गई योजना को दरकिनार कर दिया जाए।*
>
> *ख. कि मामले की लागत आवेदकों को दी जाए।*
>
> *ग. कि न्यायालय अन्य कोई राहत या राहतों को प्रदान करे जिस के लिए आवेदक हकदार पाए जाएँ।*

याचिकाकर्ता/विरोधी पक्ष की ओर से लिखित आपत्ति दिनांक 15.03.2019 को दर्ज की गई थी।

कुछ टाइपोग्राफिक/तथ्यात्मक त्रुटियाँ पाने पर याचिकाकर्ता/विरोधी पक्ष सं. 1 ने निम्नलिखित संशोधनों की मांग करते हुए संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश VI नियम 17 के तहत एक संशोधन याचिका दायर की जिस में निम्न्लिखित संशोधनों की मांग की गई:

> *"1. यह कि आपत्ति के पैरा 5 की पंक्ति संख्या 9 में "था" शब्द के बाद "नहीं" शब्द जोड़ा जाए।*
>
> *2. कि आपत्ति के पैरा 5 के पूरा होने के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं वास्तव में इसे तत्कालीन मालिक जौहर चंद से राम कुमार जालान (न्यासियों में से एक) के नाम पर सेवा संघ न्यास के न्यासियों द्वारा 12,500/- रुपये में खरीदा गया था जो कि आम जनता के योगदान के माध्यम से एकत्रित 40,000/- रुपये न्यास निधि में से दी गई थी और उक्त घर और भूमि न्यास की संपत्ति है। यह कहने योग्य है कि राम कुमार जालान की इसमें लाभकारी रुचि थी और इस नहीं (सिक्) तथ्य को राम कुमार जालान ने 1949 के न्यास विलेख No.-2314 में भी स्वीकार किया था।*
>
> *3.यह कि आपत्ति के पैरा 20 की लाइन नं.- 3 & 4 के निम्नलिखित शब्द "और न्यास भवन की ऊपरी मंजिल पर कब्जा कर लिया था" को हटा दिया जाए।*

इसके विरुद्ध उत्तरदाताओं/आवेदकों ने एक आपत्ति याचिका दायर की।

प्रत्यर्थी नं 9, जिन्होंने विविध मामला संख्या 43 वर्ष 2017 में विरोधी पक्ष के रूप में जोड़े जाने के लिए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था, ने भी 14.12.2019 को एक आपत्ति याचिका दायर की। पक्षकारों को सुनने के बाद, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-XII, मुज़फ़्फ़रपुर ने दिनांक 28.06.2022 को एक आदेश

पारित किया जिसके तहत पहले दो संशोधनों की अनुमति दी गई लेकिन तीसरा संशोधन खारिज कर दिया गया और उक्त आदेश इस अदालत के समक्ष चुनौती के अधीन है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश कानून की नजर में ख़राब है क्योंकि विद्वत निचली अदालत इस तथ्य की सराहना करने में विफल रही है कि याचिकाकर्ता की ओर से मांगा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का है और मामले की प्रकृति को नहीं बदलेगा। विद्वत विचारण न्यायालय यह समझने में भी विफल रहा है कि संशोधन मुकदमे के प्रारंभिक चरण में मांगा गया है और संहिता के आदेश VI नियम 17 के उद्देश्य पर विचार करते हुए न्याय के हित में है। यह कानून का तय किया गया प्रस्ताव है कि अभियोग में संशोधन या लिखित बयान और सीमा जैसे प्रक्रियात्मक प्रावधानों की व्याख्या न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए न कि इसे विफल करने के लिए। सभी नियम और प्रक्रियाएं न्याय की सहायक होती हैं और प्रक्रियात्मक कानून के मसौदा तैयार करने वालों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा उदार या कठोर हो सकती है, लेकिन तथ्य यह है कि प्रक्रिया निर्धारित करने का उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। विद्वत विचारण न्यायालय ने तीसरे संशोधन को इस आधार पर अस्वीकार करके एक त्रुटि की है कि यह कब्जे के तथ्य के संबंध में स्वीकार को नकारता है, जब की उक्त संशोधन किसी भी तरह से पक्षों को प्रभावित करने वाला नहीं है और यह आपत्ति याचिका टाइप करते समय हुई तथ्यात्मक गलती को सुधारने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए, आक्षेपित आदेश का वह हिस्सा जिस में याचिकाकर्ता की ओर से दायर संशोधन याचिका में तीसरे संशोधन के अनुरोध को खारिज किया गया है, उस वह हिस्सा क़ानून की नज़रों में टिकाऊ नहीं है।

विद्वत विचारण न्यायालय ने यह गलत कथन किया है कि आवेदक के कब्जे को विरोधी पक्ष सं.1/याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया है और आवेदकों को अपना अधिकार साबित करने से भारमुक्त कर दिया जाता है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित संपत्ति एक सार्वजनिक न्यास है और संहिता के प्रावधान सख्ती से लागू नहीं होंगे। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता/विरोधी पक्ष द्वारा संशोधन की मांग उन के लिखित बयान/आपत्ति पत्र में संशोधन हेतु की गई है और यह स्थापित कानून है कि अदालतें वाद पत्र के संशोधन की तुलना में लिखित बयान/आपत्ति पत्र के संशोधन में कहीं अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाती हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***ए आई आर 2009 एस सी 2544*** में प्रकाशित ***सुशील कुमार जैन बनाम मनोज कुमार एवं अन्य*** मामले में दिए निर्णय को प्रस्तुत करते हैं जिस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***पंचदेव नारायण श्रीवास्तव बनाम कुमारी ज्योति सहाय एवं अन्य*** के मामले में दिए गए अपने पिछले निर्णय जो कि ***1983 एस सी सी ऑनलाईन एस सी 340*** में प्रकाशित है, में प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान/आपत्ति पत्र में स्वीकरण (एडमिशन) के मुद्दे पर विचार करते हुए यह निर्णित किया कि एक पक्ष द्वारा की गई स्वीकरण (एडमिशन) को वापस लिया जा सकता है या स्पष्ट किया जा सकता है। इन आधारों पर विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं है और उसे दरकिनार करने की आवश्यकता है।

4. प्रत्यर्थी सं 9 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं है। प्रत्यर्थी सं.9 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि तीसरे संशोधन को अस्वीकार करते हुए, विद्वत विचारण न्यायालय ने इस कारण का हवाला दिया कि

जिस क्षण कब्जा स्वीकार किया जाता है, वह आवेदक को एक अधिकार देता है और आवेदक को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58 द्वारा अनिवार्य रूप से अपने कब्जे को साबित करने से भारमुक्त कर दिया जाता है, लेकिन मांगी गई राहत को देखते हुए कब्जा अप्रासंगिक है, विविध मामला संख्या 43 वर्ष 2017 में की गई एकमात्र प्रार्थना प्रबंधन समिति के संविधान की अधिसूचना को रद्द करने के लिए है। इन परिस्थितियों में, कब्जे का सवाल नहीं उठता है और न ही मामले की प्रकृति में कोई बदलाव आता है। विद्वत विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि पर्षद सार्वजनिक न्यास के उचित प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है क्यों कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा इस मामले में कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी सं 1 से 8 ने पहले ही संपत्ति पर अपने अधिकार और स्वत्व की घोषणा के लिए और संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में घोषित करने वाले पर्षद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2012 को रद्द करने के लिए विद्वान अवर न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर के न्यायालय के समक्ष स्वत्व वाद संख्या 470 वर्ष 2012 दायर किया है, जिस में प्रत्यर्थी सं 1 से 8 द्वारा दर्ज निषेधाज्ञा याचिका को खारिज कर दिया गया है। विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष मामले में कब्जा प्रासंगिक नहीं है, हालांकि यह प्रत्यर्थियों द्वारा दायर स्वत्व वाद संख्या 470 वर्ष 2012 में एक प्रासंगिक पहलू हो सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त, न्यायालय का प्रयास पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के निर्धारण और न्याय को आगे बढ़ाने की दिशा में होना चाहिए। लिखित कथन में संशोधन पर विचार करते समय एक अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और इस न्यायालय की समन्वय पीठ के ***हरि शंकर यादव एवं अन्य बनाम दखिया देवी एवं अन्य*** में दिए गए निर्णय, जो कि ***2023 (2) बीएलजे 600*** में प्रकाशित है, पर

निर्भर किया। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है।

5. प्रत्यर्थी सं 1-8 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश में कोई ख़राबी नहीं है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि स्वीकार्य रूप से लिखित बयान 15.03.2019 को दायर किया गया था और लगभग ढाई साल की समाप्ति के बाद याचिकाकर्ता द्वारा 15.11.2021 को इस देरी के कारण की व्याख्या किए बिना और उत्तरदाताओं के साक्ष्य के बंद होने के बाद दायर किया गया था। इसलिए, संहिता के आदेश VI नियम 17 के परन्तुक को देखते हुए याचिकाकर्ता/विरोधी पक्ष सं. 1 द्वारा मांगे गए संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का नहीं है और प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से याचिकाकर्ता पहले की गई अपनी स्वीकरण को वापस लेना चाहता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थियों के कब्जे को स्वीकार किया है और इस स्वीकरण से प्रत्यर्थियों के पक्ष में मूल्यवान अधिकार अर्जित हुआ है और इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, उत्तरदाताओं के साक्ष्य के बंद होने के बाद संशोधन याचिका दायर की गई है और यह स्पष्ट रूप से संहिता के आदेश VI नियम 17 के परंतुक के ख़िलाफ है। विद्वान विचारण न्यायालय ने संशोधन को अस्वीकार करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 पर उचित रूप से विचार किया है और कहा है कि एक बार किए गए स्वीकरण को संशोधन के माध्यम से वापस नहीं लिया जा सकता है, यदि इस तरह के संशोधन की अनुमति दी जाती है, तो उत्तरदाताओं को गंभीर क्षति होगी। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा माँगा गया तीसरा संशोधन कानून की नज़र में टिकाऊ नहीं है और

विद्वान निचली अदालत ने इसे सही ढंग से खारिज कर दिया है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने ***ए आई आर 1974 एस सी 471*** में प्रकाशित ***नागिन दास रामदास बनाम दलपतराम इच्छाराम उर्फ बाजीराम एवं अन्य*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जिस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा मामले की सुनवाई के समय या उससे पहले अभिवचनों में की गई स्वीकरण या न्यायिक स्वीकरण जो कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत स्वीकार्य है, साक्ष्य द्वारा की गई या प्रमाणिक स्वीकरण यों की तुलना में उच्च स्तर पर हैं। प्रथम वर्ग की स्वीकरण पूरी तरह से उस पक्ष पर बाध्यकारी है जो उन्हें करता है और यह सबूत से छूट का गठन करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उन्हें स्वयं पक्षों के अधिकारों की नींव बनाया जा सकता है। इस प्रकार, एक बार जब याचिकाकर्ता/विरोधी पक्ष सं. 1 ने स्वीकार कर लिया कि मृतक न्यासी के उत्तराधिकारियों का न्यास भवन की ऊपरी मंजिल पर कब्जा था, तो इस स्वीकरण को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद ***एआइआर 1977 एस सी 680*** में प्रकाशित ***मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम लाधा राम एंड कंपनी*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया, जिस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि अभिवचनों में विरोधाभासी अभिवचन किए जा सकते हैं, लेकिन यदि प्रतिस्थापन का प्रभाव विरोधाभासी और वैकल्पिक अभिवचन नहीं कर रहा है, बल्कि लिखित कथन में प्रतिवादियों द्वारा किए गए स्वीकरण से वादी को पूरी तरह से विस्थापित करने

का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे संशोधनों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि इस तरह के संशोधनों की अनुमति दी जाती है, वादी को प्रतिवादियों से स्वीकरण प्राप्त करने के अवसर से वंचित करके अपरिवर्तनीय रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित किया जाएगा और इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय ने संशोधन के लिए आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया और निचली अदालत से सहमत हो गया जिसने कहा कि "स्पष्ट स्वीकरण का खंडन वादी को अर्जित मूल्यवान अधिकार से वंचित करने की मंशा से किया जा रहा है और यह कानून के खिलाफ है।"

8. इसके बाद, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ***2015 (10) एस. सी. सी. 203*** में प्रकाशित ***राम निरंजन कजारिया बनाम शिव प्रकाश कजारिया एवं अन्य*** मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जिस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ***पंचदेव नारायण श्रीवास्तव*** (ऊपर) को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि कानून का प्रस्ताव कि एक स्वीकरण को भी वापस लिया जा सकता है जैसा कि ***पंचदेव नारायण श्रीवास्तव*** (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया गया है, सही कानूनी स्थिति को नहीं दर्शाता है। ***नगीनदास रामदास*** (ऊपर) एवं तथा ***(2008) 7 एस.सी.सी. 85*** में प्रकाशित ***गौतम सरूप बनाम लीला जेटली एवं अन्य*** के निर्णय से सहमत होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभिवचनों में की गई एक स्पष्ट स्वीकरण को स्वीकरण के माध्यम से वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ***सुशील कुमार जैन*** (ऊपर) के प्रस्ताव को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

9. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने ***ए आई आर 2006 एस सी 1647*** में प्रकाशित ***राजेश कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम के.के. मोदी एवं अन्य*** के फैसले का उल्लेख किया, जिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस बात पर विचार करते हुए कि क्या किसी आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, न्यायालय को संशोधन में मामले की शुद्धता या असत्यता के सवाल में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह, इसे संशोधन के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं करना चाहिए और संशोधन के माध्यम से शामिल किए जाने वाले संशोधन के गुण-दोष पर संशोधन के लिए अनुरोध की अनुमति देने के चरण में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित संशोधन के गुण जो भी हों, वह इस स्तर पर लिखित बयान में इसे शामिल करने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि संशोधन को अनुमति देते या अस्वीकार करते समय न्यायालय को प्रस्तावित संशोधन के गुण-दोष पर विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानूनी और सही है और इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है।

10. मैंने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

11. सुसंगत प्रावधान संहिता का आदेश VI नियम 17 है जो निम्नानुसार है:

> *"17. <u>अभिवचनों का संशोधन</u>— न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी अवस्था पर, किसी भी पक्षकार को, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायसंगत हों, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किए जाएंगे जो दोनों*

पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों: परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात संशोधन के लिए किसी भी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि सम्यक तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।"

12. इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा एक बहुत ही संकीर्ण आयाम का है। याचिकाकर्ता ने पहले वर्णित तीन संशोधनों की मांग की और ऐसे दो संशोधनों की अनुमति दी गई, जबकि विद्वत निचली अदालत ने तीसरे संशोधन को खारिज कर दिया। लिखित आपत्ति के पैराग्राफ सं 20 में तीसरा संशोधन मांगा गया था, जो पूरी तरह से निम्नानुसार हैः

"इसके बाद पूर्ण और अंतिम जांच के बाद पाया गया कि मृतक न्यासी के उत्तराधिकारी न्यास संपत्ति के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और <u>उन्होंने न्यास भवन की ऊपरी मंजिल पर कब्जा कर लिया है</u> और ट्रस्ट संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति होने का दावा करते हुए विरोधी पक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज की है और पक्षों को सुनने के बाद इस विरोधी पक्ष ने दिनांक 21..03.2012 के आदेश के माध्यम से उक्त संपत्ति को सार्वजनिक न्यास संपत्ति के रूप में घोषित किया और बाद में 07.10.2016 के आदेश के माध्यम से न्यास संपत्ति के सुचारू और निष्पक्ष प्रबंधन के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 32 के तहत एक योजना बनाई, जिसके खिलाफ वर्तमान मामला दायर किया गया है।"

(जोर देने के लिए रेखांकित)

लिखित आपत्ति के पैराग्राफ सं 20 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपनी लिखित आपत्ति में, मृतक के उत्तराधिकारियों को न्यास की संपत्ति के मामलों

में हस्तक्षेप करते हुए पाया गया था और यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने न्यास भवन की ऊपरी मंजिल पर कब्जा कर लिया। याचिकाकर्ता अब उस हिस्से को हटाना चाहता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "न्यास भवन की ऊपरी मंजिल पर कब्जा कर लिया गया था"

13. स्पष्ट रूप से, मृत न्यासी के उत्तराधिकारियों के कब्जे को याचिकाकर्ता द्वारा अपनी लिखित आपत्ति में स्वीकार किया गया है। विद्वत विचारण न्यायालय ने तीसरे संशोधन को अस्वीकार करते हुए कहा है कि "जिस क्षण कब्जा स्वीकार कर लिया जाता है, वह आवेदक को अधिकार देता है और आवेदक को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 58 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अपना कब्जा साबित करने के भार से मुक्त कर दिया जाता है।" माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नगिनदास रामदास**(ऊपर) के मामले निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

> *"बार में उद्धृत मामलों से जो सिद्धांत सामने आता है, वह यह है कि यदि डिक्री के पारित होने के समय न्यायालय के समक्ष कुछ सामग्री थी जिसके आधार पर न्यायालय को बेदखली के लिए एक वैधानिक आधार के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट किया जा सकता है, तो यह माना जाएगा कि न्यायालय इस मामले में संतुष्ट था और बेदखली के लिए डिक्री, हालांकि स्पष्ट रूप से एक समझौते के आधार पर पारित की गई थी, वैध होगी। ऐसी सामग्री या तो मामले में दर्ज या प्रस्तुत साक्ष्य का रूप ले सकती है, या, यह आंशिक रूप से या पूरी तरह से समझौते में किए गए स्पष्ट या निहित स्वीकरण के रूप में हो सकती है, स्वीकरण , यदि सही और स्पष्ट है, तो अब तक स्वीकार किए गए तथ्यों का सबसे अच्छा प्रमाण है। अभिवचन में की गई या न्यायिक स्वीकरण, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत स्वीकार्य हैं तथा जिन्हें पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा मामले की सुनवाई के समय या उससे पहले*

किया गया है, साक्ष्य द्वारा की गई या प्रमाणिक स्वीकरण यों की तुलना में उच्च स्तर पर हैं। प्रथम वर्ग कि स्वीकरण पूरी तरह से उस पक्ष पर बाध्यकारी है जो उन्हें करता है और यह सबूत से छूट का गठन करता है। दूसरी ओर, साक्ष्य द्वारा की गई या प्रमाणिक स्वीकरण जो मुकदमे में स्वीकार्य हैं, अपने आप में निर्णायक नहीं हैं। उन्हें गलत साबित किया जा सकता है।"

इसके अतिरिक्त, ***मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड एवं अन्य*** (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे संशोधन पर नाराजगी जताई, जिसमें वादी को प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में की गई स्वीकरण से पूरी तरह से हटाने की मांग की गई थी।

14. स्वीकार किए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि याचिकाकर्ता अपने लिखित बयान में की गई स्वीकरण से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है और तय किए गए कानून को देखते हुए, इस तरह के संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाल ही में, ***2022 एस.सी.सी.ऑनलाइन एस.सी. 1128*** में प्रकाशित ***भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य*** के मामले में संशोधन के मुद्दे पर कानून का सारांश देते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सभी संशोधनों की अनुमति तब तक दी जा सकती है जब तक कि संशोधन की मांग करने वाले पक्षों द्वारा की गई किसी भी स्पष्ट स्वीकरण को वापस नहीं लेना चाहते हैं जो दूसरे पक्ष को कोई अधिकार प्रदान करता है।

15. संशोधन को चुनौती इस आधार पर भी दी गई है कि संशोधन की मांग विचारण प्रारम्भ होने के बाद की गई थी लेकिन विद्वत विचारण न्यायालय ने

आवेदक के साक्ष्य समाप्त होने के बाद अन्य संशोधनों की अनुमति दी और इसलिए, परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधनों की अनुमति दी गई और बाद के चरण में संशोधनों को अनुमति देने को दूसरे पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार उस सीमा तक के आदेश को अंतिम रूप दिया गया है। लेकिन अन्य संशोधनों की अनुमति देने वाले आदेश के बावजूद, तथ्य यह है कि तीसरा संशोधन संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान से प्रभावित है और विचारण शुरू होने से पहले संशोधन नहीं लाने के लिए कोई उचित प्रयास नहीं दिखाया गया है।

16. ऊपर की गई चर्चा के आलोक में, मेरी यह सुविचारित राय है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने कानून के तय किए गए प्रस्ताव पर विचार करते हुए मामले में कार्यवाही की और इसे अपने समक्ष मौजूद तथ्यों पर सही ढंग से लागू किया और इसलिए, दिनांक 28.06.2022 के आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है और इसकी पुष्टि की जाती है।

17. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

अनुराधा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।